राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लाट नं. – 6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर)

क्रमांकःपैरामेडि.कौं / काउन्सिलिंग / 2019 / 2151 दिनांकः 26/8/19

–::सार्वजनिक सूचना::–

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसरण में सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है कि :–

''राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु आयोजित प्रथम ऑन–लाईन काउन्सिल में अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण–पत्र (Other Backward Class) अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया गया था, (समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण–पत्र (Other Backward Class) एक वर्ष के लिये मान्य है। लेकिन एक बार क्रीमिलेयर में नही होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त यदि प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमिलेयर में नही है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जायेगा। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।)

अतः राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण–पत्र (Other Backward Class) प्राप्त करें तथा शपथ–पत्र प्राप्त करें।

राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

26/8/19

(सोमदत्त दीक्षित)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांकःपैरामेडि.कौं / काउन्सिलिंग / 2019 / 2151 दिनांकः 26/8/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, समस्त सम्बद्ध पैरामेडिकल कॉलेज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सूचना बोर्ड, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
4. प्रभारी, सर्वर को भेजकर लेख है कि आज ही वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

26/8/19
रजिस्ट्रार

Fg/4
15.8.2019

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर।

क्रमांक:–एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प./सान्याअवि/12/पार्ट–3 45955 जयपुर दिनांक 8.8.19

परिपत्र

जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व मे ही राज्य मे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश समसंख्यक पत्रांक 54159 दिनांक 09.09.2015 द्वारा जारी किये गये है। उक्त दिशा निर्देश 09.09.2015 के बिन्दु संख्या 04 मे जाति प्रमाण की वैधता अवधि के संबंध मे निम्नानुसार अंकित है।

"अनुसूचित जाति व जनजाति के लिये जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये संबधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जायेगा परन्तु क्रिमीलेयर मे नही होने संबधी तथ्य को तीन वर्ष के लिये विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।

क्रिमीलेयर मे नहीं होने संबधित प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिये मान्य होगा । एक बार क्रिमीलेयर मे नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त भी अगर प्रार्थी आगामी वर्ष मे भी क्रिमीलेयर मे नही है, तो ऐसी स्थिति मे उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व मे जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे, ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।"

परन्तु राज्य सरकार के ध्यान मे आया है कि राज्य मे कुछ शैक्षणिक संस्थाओं एवं नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक से एक बार जारी किये गये उक्त अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र को छः माह पश्चात पुनः दोबारा नवीन अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र चाहा जाता है। जो कि नियमानुसार उचित नही है।

अतः इस संबंध मे पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिये मान्य होगा लेकिन एक बार क्रिमीलेयर मे नही होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष मे भी क्रिमीलेयर मे नहीं है, तो ऐसी स्थिति मे उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व मे जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जायेगा ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं तथा अन्य संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित है कि उपर वर्णित प्रावधानों की पालना किया जाना सुनिश्चित करावे।

(अखिल [illegible])
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक:–एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प./सान्याअवि/[illegible]/पार्ट–3 45956–46156 जयपुर दिनांक 8.8.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है–

1) सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2) प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
3) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
4) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
5) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
6) समस्त अतिरिक्त/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
10) सचिव, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर राज0
11) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जयपुर, राज0
12) समस्त संभागीय आयुक्त
13) समस्त जिला कलक्टर [illegible]
14) समस्त जिला पुलिस अधिक्षक
15) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड
16) उप निदेशक/ सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
17) गार्ड फाईल।

निदेशक एवं संयुक्त [illegible]

[illegible]

0141-2226642 Email : sje.[illegible]